Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 08, Issue-III, Jan. 2023

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों का प्रभाव (Effect of the Provisions of the Right to Education Act-2009 on School Dropout of Muslim Students in Upper Primary Schools)

Dr. Sanjeev Kumar [a,*]
[a]*Assistant Professor, Education Department, Hindu College Moradabad, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly, U.p., (India).*

Prof. Vijay Jaiswal [b,**]
[b]*Dean and Head of Department, Faculty of Education, Chaudhary Charan Singh University Meerut, U.p., (India).*

KEYWORDS
उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय परित्याग, मुस्लिम वर्ग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009।

ABSTRACT
प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के हापुड एवं बागपत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग (Drop-out) पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों का प्रभाव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर देखा गया है। मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित इस शोध में सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत अभिलेख विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध में न्यादर्श के रूप में बागपत एवं हापुड़ जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से समान रूप में 12–12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन न्यादर्शन की सौद्धेश्य विधि के आधार पर किया गया है। इन विद्यालयों के शैक्षिक सत्र–2015 से 2019 तक के मुस्लिम वर्ग के सभी विद्यार्थियों के अभिलेखों का विश्लेषण किया गया है। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए माध्य, औसत एवं आरेखों का प्रयोग किया गया है। शोध निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग में सुधार हुआ है। परन्तु यह शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निरन्तर रूप से न होकर अव्यवस्थित रूप से पाया गया है।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपयोग पर निर्भर करता है। समाज में सभी वर्गों के विकास एवं सहयोग के बिना राष्ट्र अथवा समाज का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सकता है। शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि है, इसलिए शिक्षा की सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्ता को सभी सभ्यताओं में विशेष महत्व दिया गया है और शिक्षा को व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए अपरिहार्य माना है। राष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कितनी उत्कृष्ट, परिष्कृत एवं उन्नत है। इसलिए शिक्षा को राष्ट्र विकास की आधारशिला कहा जाता है। देश की जनशक्ति का राष्ट्र विकास के महायज्ञ में तब तक अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सकता है जब तक की उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षित एवं प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। इसलिए यह सर्वविदित है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए देश के सभी नागरिकों को शिक्षित होना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। परन्तु यह चिंताजनक है कि मानवीय विकास के कई पहलुओं में मुस्लिम वर्ग सबसे पीछे है। इसका कारण है इस वर्ग का शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा होना।

मुस्लिम वर्ग की शिक्षा

मुस्लिम वर्ग भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। 2011 की जनसांख्यिकी के अनुसार देश की कुल आबादी का 14.23 प्रतिशत भाग मुस्लिम है। परन्तु यह चिंताजनक है कि यह समुदाय मानवीय विकास के विभिन्न आयामों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि में अन्य वर्गों की तुलना में गम्भीर रूप से पिछड़ हुआ है। इसमें सबसे चिंताजनक बात है मुस्लिम वर्ग का भी शैक्षिक दृष्टि से पिछडापन। 2001 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत के सापेक्ष मुस्लिम वर्ग की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत थी, जो 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.4 के सापेक्ष 67.61 प्रतिशत थी। इस वर्ग की शिक्षा की बड़ी बाधा है बालकों की विद्यालय परित्याग अर्थात् शिक्षा पूरी किये बिना बीच में ही अधूरी छोड़ देना। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य पारिवारिक कारण होते हैं। यह समुदाय भारतीय जनसंख्या का बड़ा भाग है। अतः इस वर्ग का शैक्षिक विकास अथवा पिछड़ापन देश के विकास व प्रगति को प्रभावित करता है।

Corresponding author
***E-mail:** sanjeev.sanjeev.rana1@gmail.com (Dr. Sanjeev Kumar). https://orcid.org/0000-0001-7384-4130
****E-mail:** jaivijaycnb@gmail.com (Prof. Vijay Jaiswal). https://orcid.org/0000-0002-6358-8556
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v8n3.02
Received 06th Nov. 2022; Accepted 15th Nov. 2022; Available online 23rd Jan. 2023
2454-8367 /©2023 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

संविधान के 86 वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर लेने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संसद में 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए दिनांक 27 अगस्त 2009 को अधिनियम लाया गया जो 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है। यह अधिनियम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए वृहद व व्यापक प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 8 (च) छात्रों के विद्यालय परित्याग से सम्बन्धित है। इनमें प्रावधान है कि प्रत्येक बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति व उसे पूरा करने को सुनिश्चित किया जाऐगा। इस प्रकार धारा 16 विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र को किसी कक्षा में फैल करने अथवा निस्कासन का निरोध करती है।

अध्ययन की आवश्यकता

सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है। 2011 के जनसांख्यिकी आँकड़ों के अनुसार जिसमें 17 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम समुदाय से है। मुस्लिम वर्ग शैक्षिक दृष्टि से अन्य सभी वर्गों से पिछड़ा हुआ है। किसी प्रदेश की जनसंख्या के इतने बड़े भाग का शैक्षिक पिछड़ापन चिंता का विषय है। शोधार्थी द्वारा इस वर्ग की शैक्षिक स्थिति पर शोध कार्य करने का कारण इस विषय पर शोध का अभाव एवं विषय की नवीनता है। यदि क्षेत्र के शोधार्थियों को इस प्रयास से कुछ लाभ प्राप्त हो सका तो यह शोध अध्ययन अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकता है।

समस्या कथन

''उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों का प्रभाव।''

शोध उद्देश्य

1. हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यायल परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिसीमांकन– इस शोध अध्ययन में हापुड एवं बागपत जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया है।

शोध विधि– यह अध्ययन मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित है। जिसमें सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत अभिलेख विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध जनसंख्या– इस शोध अध्ययन में हापुड़ एवं बागपत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मुस्लिम वर्ग के सभी विद्यार्थी शोध जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

शोध न्यादर्श– शोधार्थी द्वारा न्यादर्श के रूप में हापुड जनपद के शहरी क्षेत्र के रूप में हापुड़ नगर विकास खण्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र के रूप में गढ़मुक्तेश्वर विकास खण्ड, प्रत्येक से 6–6 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा इसी प्रकार बागपत जनपद से शहरी क्षेत्र के रूप में बड़ौत विकास खण्ड एवं ग्रामीण विकास खण्ड के रूप में पिलाना विकास खण्ड से 6–6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन न्यादर्शन की उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया। इन सभी विद्यालयों के वर्ष 2015 से 2019 तक के कक्षा 6, 7 एवं कक्षा 8 के मुस्लिम वर्ग के सभी विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में संकलित आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न प्रकार है–

उद्देश्य–1

हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।

सारणी–1

हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 6, 7 व 8 में विद्यालय परित्याग की वर्षवार स्थिति–

वर्ष	2015		2016		2017		2018		2019	
क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
नामांकन	150	179	162	187	170	193	176	199	188	206
विद्यालय परित्याग	4	9	6	10	5	14	8	14	8	15
विद्यालय परित्याग (प्रतिशत)	2.67	5.43	3.71	5.35	2.95	7.26	4.55	7.04	4.26	7.29

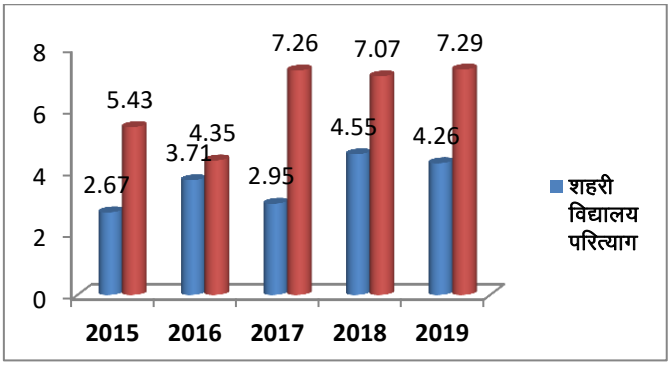

आरेख 1 हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 6, 7 व 8 में विद्यालय परित्याग की वर्षवार स्थिति का विवरण।

उपरोक्त सारणी 1 एवं आरेख 1 के अवलोकन के आधार पर यह ज्ञात हो रहा है कि हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र हापुड़ विकास खण्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर विकास खण्ड के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 6, 7 एवं 8 में विद्यालय परित्याग में सुधार हुआ है और यह न्यूनतम स्तर पर है। शहरी क्षेत्र हापुड़ विकास खण्ड में 2015 से 2016 तक विद्यालय परित्याग प्रतिवर्ष क्रमशः 2.67 प्रतिशत, 3.71 प्रतिशत, 2.95

प्रतिशत, 4.55 प्रतिशत एवं 4.26 प्रतिशत रही है। हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र की विद्यालय परित्याग का 2015 से 2019 तक औसत 3.63 प्रतिशत रही है। हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर निरन्तर रूप से निम्न स्तर पर बनी हुई है। परन्तु 2016 एवं 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी यह निम्न स्तर पर है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा में विद्यालय परित्याग दर अधिक पायी गई है। ग्रामीण क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर विकास खण्ड में विद्यालय परित्याग 2015 से 2019 तक प्रतिवर्ष क्रमशः 5.43 प्रतिशत, 5.35 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत, 7.04 प्रतिशत एवं 7.29 प्रतिशत पायी गई है। हापुड़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की विद्यालय परित्याग दर का औसत 2015 से 2019 तक 6. 48 प्रतिशत रही है। स्पष्ट है कि हापुड़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसके कई कारण है जिनमें प्रमुख है माता–पिता की अशिक्षा, बालकों की घर के कार्यों में संलिप्तता, परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति जिसके कारण बालक छोटे–मोटे रोजगार, हस्तकार्य एवं कुटीर उद्योंगों में कार्य करने लगते है जिससे परिवार की आर्थिक–स्थिति में मदद होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हापुड़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से सुधार हुआ है।

उद्देश्य–2 बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।

सारणी–2 बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 6, 7 व 8 में विद्यालय परित्याग की वर्षवार स्थिति–

वर्ष	2015		2016		2017		2018		2019	
क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
नामांकन	170	175	180	186	191	194	199	201	208	211
विद्यालय परित्याग	8	11	4	9	15	9	9	10	4	15
विद्यालय परित्याग (प्रतिशत)	4.71	6.29	2.23	4.84	7.86	4.64	4.53	4.98	1.93	7.11

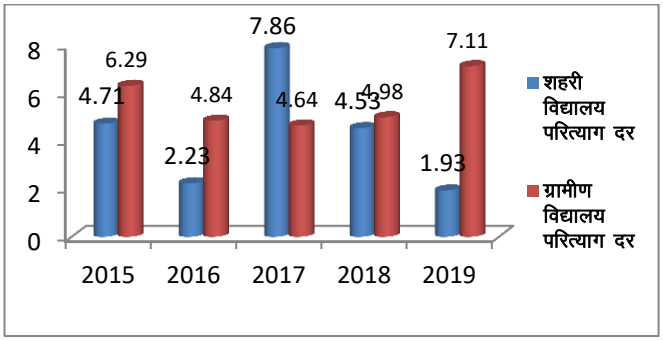

आरेख 2 बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा 6, 7 व 8 में विद्यालय परित्याग दर की वर्षवार स्थिति का विवरण।

उपरोक्त सारणी 2 एवं आरेख 2 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि बागपत जनपद के शहरी क्षेत्र बड़ौत विकास खण्ड के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर में सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्र में 2015 से 2019 तक औसत विद्यालय परित्याग 4.25 प्रतिशत पायी गयी है। शहरी क्षेत्र में 2015 से 2019 तक प्रतिवर्ष विद्यालय परित्याग दर क्रमशः 4.71 प्रतिशत, 2.23 प्रतिशत, 7.86 प्रतिशत, 4.53 प्रतिशत एवं 1.93 प्रतिशत पायी गई है। स्पष्ट है कि बागपत जनपद के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर निम्न स्तर पर है। परन्तु 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।

वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यालय परित्याग शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2019 तक औसत विद्यालय परित्याग दर 5.57 प्रतिशत पायी गयी। 2015 से 2019 तक प्रतिवर्ष विद्यालय परित्याग क्रमशः 6. 29 प्रतिशत, 4.84 प्रतिशत, 4.64 प्रतिशत, 4.98 प्रतिशत एवं 7.11 प्रतिशत पायी गई है। यह 2015 एवं 2014 में अधिक रही है। कहा जा सकता है कि बागपत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिणामस्वरूप आंशिक सुधार हुआ है फिर भी यह निम्न स्तर पर बनी हुई है।

शोध निष्कर्ष–

1. हापुड जनपद के शहरी क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर वर्ष 2015 से 2019 तक औसत 3.63 प्रतिशत रही है। विद्यालय परित्याग की यह दर निम्न है। विद्यालयी शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई है।
2. हापुड जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर वर्ष 2015 से 2019 तक औसत 6.48 प्रतिशत रही है। यद्यपि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा यह लगभग दोगुनी है। परन्तु परित्याग की यह दर निम्न है। इस अवधि में शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई है।
3. बागपत जनपद के शहरी क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में औसत 4.25 प्रतिशत रही है। यह दर निम्न है। यद्यपि हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र की अपेक्षा यह थोड़ी (0.60) अधिक है।
4. बागपत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के न्यादर्श विद्यालयों में मुस्लिम विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर वर्ष 2015 से 2019 तक औसत 5.57 प्रतिशत रही है। विद्यालय परित्याग की यह दर निम्न है। इस अवधि में विद्यालय पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई है।
5. निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हापुड़ एवं बागपत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम प्रावधानों

का साकारात्मक प्रभाव पाया गया है। अधिनियम के परिणामस्वरूप मुस्लिम विद्यार्थियों की विद्यालय परित्याग दर निम्न पायी गई। यद्यपि यह अव्यवस्थित रूप से कम या अधिक होता पाया गया है। अधिनियम के किसी कक्षा में बालक को फेल न करने स्थानान्तरण एवं प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधानों का मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है।

संदर्भित सूची

1. वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, (2000), दि डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एजुकेशन फॉर ऑल : मीटिंग अवर कलेक्टिव कम्यूनिटिज, डकार, सेनेगल, पे0नं0–59 (www.unesco.org/wef/en-leadup.dakfram.shtm)।
2. पाठक, पी0डी0 एवं त्यागी, जी0 (2017), समसामयिक भारत एवं शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0सं0–71, 72।
3. भारत सरकार (1995), संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ए0 रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0–124।
4. बडथ्वाल, वी0वी0 और पुष्पा (2011), शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम (2009) का मूल्यांकन क्रियान्वित के विशेष परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, पृ0सं0–80–81।
5. मीणा, जे0एस0 (2012), निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, प्रतियोगिता दर्पण, जून 2012, पृ0सं0–2027।
6. राय, ओ0पी0 (2017), बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, लॉ सोसायटी, इलाहाबाद, पृ0सं0–3–11।
7. भारत सरकार, (2007), राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पृ0सं0–3।
8. राष्ट्रीय जनगणना आँकड़े, (2011). http://www./c-01.html. पे0नं0–113।
9. सच्चर, आर0 (2006), भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, केन्द्रीय सचिवालय, भारत सरकार, पृ0सं0–26।